


मध्य प्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल

:: आदेश ::

दिनांक 03.11.2015

क्र. 6753/21-अ(स्था.)/2015, इस विभाग के आदेश क्र. 6716/21-अ(स्था.)/2015 दिनांक 31.10.2015 द्वारा प्रदान की गई पदोन्नति के तारतम्य में, श्री लालचंद मेहरचंदानी, अनुभाग अधिकारी को तत्काल प्रभाव से न्यायिक शाखा-1 एवं बजट शाखा के समस्त कार्य निष्पादन हेतु उक्त शाखा के अनुभाग अधिकारी के रूप में पदस्थ किया जाता है। साथ ही श्री यशवंत सिंह, के अवकाश काल में श्री लालचंद मेहरचंदानी, आहरण एवं संवितरण अधिकारी का कार्य भी निष्पादित करेंगे।

प्रमुख सचिव, विधि के आदेशानुसार



(आर. के. वाणी)
सचिव,

म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल

पृ.क्र. 6753/21-अ(स्था.)
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 03.11.2015

1. श्री यशवंत सिंह, आहरण एवं संवितरण अधिकारी, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल
2. श्री लालचंद मेहरचंदानी, अनुभाग अधिकारी, बजट शाखा विधि विभाग, भोपाल,
3. स्थापना शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल
- ✓ 4. आई.टी. शाखा, विधि विभाग,
की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(राजेश सिंह)
वरिष्ठ लेखाधिकारी,

म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल


मध्य प्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल

:: आदेश ::

दिनांक 03.11.2015

क्र. / 21-अ(स्था.) / 2015, इस विभाग के आदेश क्र. 6594 / 21-अ(स्था.) / 2015 दिनांक 15.10.2015 द्वारा श्री महादेव उईके, भृत्य, महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर को विधि विभाग में जमादार के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दी गई पदोन्नति पर महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान करते हुए, उन्हें विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल से महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर में तत्काय प्रभाव से अटैच (संबद्ध) किया जाता है।

प्रमुख सचिव, विधि के आदेशानुसार



(आर. क. वाणी)

सचिव,

म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल

पृ.क. 6808 / 21-अ(स्था.),
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 03.11.2015

1. महाधिवक्ता कार्यालय म.प्र., जबलपुर,
2. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, विन्ध्याचल भवन, भोपाल,
3. स्थापना शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल
4. श्री महादेव उईके, जमादार, महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर,
5. संबंधित लिपिक / पे-लिपिक / आई.टी. शाखा, विधि विभाग,
की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(राकेश सिंह)

वरिष्ठ लेखाधिकारी,

म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल

:: आदेश ::

दिनांक 03.11.2015

क्रमांक 21-अ(स्था.)/15, मध्यप्रदेश कोषालय संहिता, भाग-एक के स.नि. 125 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा श्रीमती रजनी पंचोली, अवर सचिव, विधि विभाग के स्थान पर श्री यशवंत सिंह, प्रशासकीय अधिकारी, स्थापना को आहरण एवं संपितरण अधिकारी घोषित किया जाता है।

हस्ता/-
(आर.के. वाणी)
सचिव,

म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल

पृ.क. 6809/21-अ(स्था.)/15,
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 03.11.2015

1. महालेखाकार, म.प्र., ग्वालियर,
2. कलेक्टर, भोपाल,
3. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, विन्ध्याचल भवन, भोपाल,
4. श्रीमती रजनी पंचोली, अवर सचिव, विधि विभाग,
5. श्री यशवंत सिंह, प्रशासकीय अधिकारी, स्थापना शाखा, विधि विभाग,
6. आई.टी. प्रकोष्ठ, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
की अंर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

* (राजेश सिंह)

वरिष्ठ लेखाधिकारी,

म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल